दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)

Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल संख्या: आरबीसी/336/हिं.स.(08)/2014/ 15695-15944 दिनांक: 11-09-2014

परिपत्र CIRCULAR

14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने एकमत से संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी (देवनागरी लिपि) को स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर सितंबर माह में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने दैनिक कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे साधारण आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, सूचनाएं, ज्ञापन, निविदा सूचनाएं इत्यादि को द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना एक सांविधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार सभी फार्मों और लेखन सामग्री की विषय वस्तु जैसे फाइल कवरों, लिफाफों, पत्र-शीर्ष, रबड़ की मुहरों, नाम-पट्टों इत्यादि को भी द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) रूप में बनाया जाना आवश्यक है। जिसमें हिंदी पहले/ऊपर और अंग्रेजी बाद में/नीचे लिखी होनी चाहिए। राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाने चाहिए।

विश्वविद्यालय में एक ओर जहाँ कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहीं हम सबको अपनी-अपनी ओर से भी इस बारे में योगदान देना है। मैं यह जानता हूँ कि विश्वविद्यालय के कार्यों में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह-2014 के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संवैधानिक दायित्वों पर ध्यान देते हुए अपने दैनिक कार्यालयी कामकाज हिंदी में करें।

11/9/2014

कुलसचिव

सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण - सूचना-पट्ट